भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादकता में वृद्धि

1350. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल की पैदावार में सुधार लाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपाय क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई और किसानों की आय और कल्याण पर इसका प्रभाव क्या है;

(ग) जैविक खेती, कृषि वानिकी और जल सरंक्षण जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(घ) कृषि स्थापित्व और किसानों की आजीविका पर उक्त पद्धतियों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे सूखा, बाढ़, कीट का समाधान करने और उन्हें पर्याप्त सहायता तथा समर्थन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) देश के सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में उत्पादकता में वृद्धि और क्षेत्र विस्तार के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएफएसएम के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च बीज वाली किस्म (एचवाईवी)/हाईब्रिड बीज का वितरण, उन्नत कृषि मशीन/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मिट्टी सुधार, प्रसंस्करण और कटाई उपरांत उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण इत्यादि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी भू-धारक किसान परिवारों को कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित व्यय को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की तीन 4-मासिक किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाती है। पीएम-किसान लाभार्थियों में से लगभग 85% छोटे और सीमांत किसान हैं। इसके अतिरिक्त, हर 4 लाभार्थियों में से एक महिला है। इस पहल के तहत वितरित निधि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है, किसानों की ऋण बाध्यता को कम करने और कृषि आदान में निवेश बढ़ाने में सहायता की है। इस योजना ने किसानों की जोखिम वहन करने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे जोखिमपूर्ण लेकिन तुलनात्मक रूप से लाभकारी निवेश के लिए प्रेरित हुए हैं। पीएम-किसान योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों और कृषि क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। आईएफपीआरआई (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध धनराशि न केवल उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह इत्यादि जैसे अन्य व्यय को भी पूरा कर रही है। पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा और जारी की गई राशि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय अपना रही है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत एक मिशन है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीति विकसित करना और कार्यान्वित करना है। एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों अर्थात वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी); फार्म पर जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम); और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के लिए अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) इत्यादि जैसे नए कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।

एनएमएसए के तहत, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को प्रोन्नत करती है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर बल देता है।

सरकार, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। मृदा

स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी उत्पादकता में सुधार हेतु पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशों सहित मृदा की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) कार्यक्रम के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुटों के बष्हिकार पर बल देती है और बायोमास मल्चिंग, गोबर-मूत्र योगों और अन्य वनस्पति आधारित मिश्रणों के उपयोग पर मुख्य बल देते हुए ऑन-फार्म बायोमास पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने 16 राज्यों को शामिल करते हुए 20 सहकारी केंद्रों के साथ अखिल भारतीय जैविक कृषि नेटवर्क कार्यक्रम (एआईएनपी-ओएफ) को भी कार्यान्वित किया है, ताकि फसल और कृषि प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में फसलों के जैविक उत्पादन के लिए पद्धतियों का समूह विकसित किया जा सके। इस योजना में 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 8 आईसीएआर संस्थान/केंद्र और 1 विशेष विरासत विश्वविद्यालय शामिल हैं। फसल प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में फसलों के जैविक उत्पादन के लिए पद्धतियों के समूह को 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 72 फसल प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा 7 राज्यों के लिए आठ एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। कुल मिलाकर, 1888 जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित की गई हैं जिनमें अनाज की 891, तिलहन की 319, दलहन की 338, चारा फसलों की 103, रेशे की फसलों की 182, शर्करा फसलों की 45 और अन्य फसलों की 10 किस्में शामिल हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में 454 गांवों में 15857 किसानों के खेतों पर 68 जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को असामान्य मौसम की स्थिति से सुरक्षित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के सहयोग से आईसीएआर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कार्यक्रम के माध्यम से सप्ताह में दो बार (मंगलवार और शुक्रवार) कृषि मौसम संबंधी परामर्श जारी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, किसानों को जलवायु संबंधी खतरों से बचाने के लिए, सरकार ने खरीफ 2016 से मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) सहित प्रमुख उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना और खेती में बने रहने के लिए किसानों की आय के स्थायीकरण में मदद करना है। इस योजना के तहत किसानों को सूखा, शुष्क-दौर, बाढ़, ओलावृष्टि, जलप्लावन आदि जैसी अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें बुवाई से पूर्व से लेकर फसलोपरांत के नुकसान सहित संपूर्ण फसल चक्र शामिल है।

अनुबंध

दिनांक 30.07.2024 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

पीएम-किसान के तहत किश्तों का विवरण, लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि

किश्तें	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रु. में)
प्रथम किश्त (दिसम्बर 2018-मार्च 2019)	3,16,19,818	63,23,96,36,000
दूसरी किश्त (अप्रैल-जुलाई 2019)	6,00,34,422	1,32,71,92,40,000
तीसरी किश्त (अगस्त-नवंबर 2019)	7,65,99,694	1,75,26,85,76,000
चौथी किश्त (दिसम्बर 2019-मार्च 2020)	8,20,89,926	1,79,42,63,62,000
पाँचवी किश्त (अप्रैल-जुलाई 2020)	9,26,93,598	2,09,89,36,34,000
छठवीं किश्त (अगस्त-नवंबर 2020)	9,72,25,766	2,04,75,91,00,000
सातवीं किश्त (दिसम्बर 2020-मार्च 2021)	9,84,73,142	2,04,74,51,20,000
आठवीं किश्त (अप्रैल-जुलाई 2021)	9,99,01,625	2,24,10,60,20,000
नौवीं किश्त (अगस्त-नवंबर 2021)	10,34,39,266	2,23,94,07,54,000
दसवीं किश्त (दिसम्बर 2021-मार्च 2022)	10,41,66,033	2,23,42,68,32,000
ग्याहवीं किश्त (अप्रैल-जुलाई 2022)	10,48,35,922	2,26,15,21,32,000
बारहवीं किश्त (अगस्त-नवंबर 2022)	8,57,26,707	1,80,38,99,16,000
तेरहवीं किश्त (दिसम्बर 2022-मार्च 2023)	8,12,32,815	1,76,49,04,14,000
चौदहवीं किश्त (अप्रैल-जुलाई 2023)	8,56,76,297	1,92,02,21,76,000
पंद्रहवीं किश्त (अगस्त-नवंबर 2023)	8,12,16,118	1,95,96,54,26,000
सोलहवीं किश्त (दिसम्बर 2023-मार्च 2024)	9,04,02,811	2,30,80,61,04,000
सत्रहवीं किश्त (अप्रैल-जुलाई 2024)	9,25,71,834	2,00,67,02,38,000

****